न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
पिठासीन अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर०ए०एस०)

प्रार्थना पत्र संख्या– 24/2015

1– शैतानराम पुत्र सुखदेवराम जाति जाट निवासी जानेवा पूर्व तहसील जायल जिला नागौर।

.....प्रार्थी

बनाम

1– सुखदेवराम पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी जानेवा पूर्व तहसील जायल जिला नागौर।
2– भागीरथ पुत्र सुखदेवराम जाति जाट निवासी जानेवा पूर्व तहसील जायल जिला नागौर।
3– तहसीलदार जायल जिला नागौर।
4– उपपंजीयक अधिकारी जायल जिला नागौर।

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151

उपस्थित अधिवक्ता–
1 श्री जीयाराम गौदारा प्रार्थी की और से।
2 श्री रामनारायण चौधरी अप्रार्थी सं. 01 से 02 की और से।

:: निर्णय ::

दिनांक 12.03.2018

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 01 से 02 श्रीराम के वंशज है। मौजा जानेवा पूर्व के खेत खसरा नम्बर 49 रकबा 19.03 बीघा, खसरा नम्बर 89 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 279/89 रकबा 1.19 बीघा, खसरा नम्बर 280 रकबा 14.03 बीघा, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.07 बीघा, खसरा नम्बर 117 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 133/118 रकबा 31.07 बीघा, खसरा नम्बर 337/124 रकबा 14.10 बीघा व मौजा जालनियासर खसरा नम्बर 649 रकबा 5 बीघा व खसरा नम्बर 86/01 रकबा 5 बीघा पुश्तेनी बडैर के खेत प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 01 से 02 के है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 01 से 02 ने अपसी पारिवारिक सहमति से भूमि का मौखिक बंटवारा प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 के (क,ख) के अनुसार कर लिया था। परन्तु अप्रार्थी सं.1 मुतदाविया खेताय को बैचान करना चाहते है इसलिये इन के विरूद्ध भूमि का बैचान नहीं करने व रिकार्ड की यथा स्थिति रखने के लिये स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाये।

12.3.18
सहायक कलक्टर
(एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाकर अप्रार्थीण को जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थी सं. 03 व 04 राजपैरोकार ने उपस्थित होकर कहा कि इस में राजहक प्रभावित नहीं होता है इसलिये जवाब नहीं देना चाहते है। अप्रार्थी सं. 1 से 02 की ओर से वकील श्री रामनारायण चौधरी ने जवाब पेश किया प्रार्थना पत्र का पेरा वाईज खण्डन कर न्यायालय से निवेदन किया कि प्रार्थी ने जो प्रार्थना पत्र मे वंशावली दर्शायी है उन सब को प्रार्थना पत्र मे पक्षकार नहीं बनाकर बल्कि शौतानराम व भागीरथ को ही पक्षकार बनाया गया है शेष लिछमा, गोमती व छोटी को पक्षकार नही बनाया गया है ओर प्रार्थी ने नोशनल हिस्से से ज्यादा हिस्से की मांग की गयी है जो कि नियम विरूद्ध है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर प्रार्थी के विरूद्ध में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

प्रकरण में अप्रार्थी वकील ने लिखित बहस पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर प्रार्थी के विरूद्ध में स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रार्थी वकील व अप्रार्थी वकील की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थीगण का जबाब व पेश वंशावली में अंकित सभी वारिसानों को प्रार्थी के द्वारा पक्षकार नहीं बनाना व नोशनल शेयर से भूमि का बंट अधिक मांगना प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध नहीं होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा पूर्व में इस न्यायालय द्वारा जारी की गयी अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। तहरीर पालनार्थ तहसीलदार जायल को जारी हो।

12.3.18

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी जायल
सहायक कलक्टर
(एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 12.3.18 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.3.18

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी जायल
सहायक कलक्टर
(एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

Scanned by CamScanner